Dr. SALIM RAJ
CHAIRMAN
Cabinet Minister Status

Ph. No. : +91 771 4914840
Office : Collectorate Chowk,
Raipur-492001 (C.G.)

CHHATTISGARH STATE WAQF BOARD

(Constituted under Waqf Act. 1995 as amended 2013, Govt of India)

Ref. No. 182/2026 Date 03/07/2026

प्रति
आदरणीय भाईसाहब प्रणाम
श्री विष्णु देव साय जी
माननीय मुख्यमंत्री
छ.ग.शासन

विषय :—छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड समाप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किये जाने बाबत्।

संदर्भ :—उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के अनुरूप गठित प्राधिकरण शासकीय राजपत्र प्रकाशन दिनांक 08 अक्टूबर 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयातर्गत सादर अनुरोध है कि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा संचालित छ.ग. मदरसा बोर्ड जो वर्तमान में संचालित है जिसके अंतर्गत राज्य के मदरसों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुरूप दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है। मदरसा बोर्ड अंतर्गत आने वाले मदरसों को राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान भी प्रदान किया जाता है परंतु इसका समुचित लाभ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को नहीं प्राप्त हो रहा है। छ.ग. राज्य में मदरसों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विधार्थी वर्तमान में केवल मौलाना या मौलवी ही बन रहे है, मदरसों की शिक्षा प्रणाली में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुरूप बदलाव किया जाना अति आवश्यक हो गया है।

आपको अवगत कराना चाहूंग कि, उत्तराखंड राज्य द्वारा मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया है. जिसमें यह फैसला लिया कि एक जुलाई से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद को समाप्त कर दिया गया है इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य मदरसों की शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना है। चूंकि केन्द्र शासन एवं राज्य शासन का यह उद्देश्य है कि मदरसे में अध्ययनरत् विधार्थी के एक हाथ में कुरआन और एक हाथ में कम्प्यूटर हो, जिससे मदरसों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विधार्थी आगे जाकर केवल मौलाना या मौलवी ही नहीं बल्कि उसके साथ डॉक्टर, इंजीनयर, वैज्ञानिक आदि भी बन कर मुख्य धारा से जुड़ सकें, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र हित की भावना उनके अंदर भी जागरूक हो।

Dr. SALIM RAJ
CHAIRMAN
Cabinet Minister Status

Ph. No. : +91 771 4914840
Office : Collectorate Chowk,
Raipur-492001 (C.G.)

CHHATTISGARH STATE WAQF BOARD

(Constituted under Waqf Act. 1995 as amended 2013, Govt of India)

Ref. No. .....

Date .....

इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित मदरसा बोर्ड को समाप्त कर इसके स्थान पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुरूप छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाना आवश्यक है जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा एवं दीनी तालीम अल्पसंख्यक मुस्लिम विधार्थियों को प्राप्त हो।

अवगत हों कि राज्य में लगभग 418 मदरसे संचालित हैं, जिसमें राज्य के कुछ मदरसे पूरी तरह छात्रविहींन हैं. तथा कुछ ही मदरसों को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक की मान्यता प्राप्त है जिसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुरूप पाठ्क्रम उपलब्ध नहीं है। शेष मदरसों में प्राथमिक रूप से दीनी शिक्षा ही प्रदान की जा रही है जिससे मदरसों में शिक्षारत् विधार्थियों के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न है, राज्य शासन की समस्त योजनाओं का लाभ राज्य के मदरसे लेते हैं परंतु आधुनिक शिक्षा के नाम पर शून्य हैं।

विद्यालयी शिक्षा परिषद से जुड़ेंगे मदरसे

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित मदरसों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक होगा कि मदरसे अब विद्यालयी शिक्षा परिषद से जोड़े जायें, साथ ही, मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर भी एक कमेटी गठित की जाये जो यह तय करे कि धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक विषयों का कितना समावेश किया जाए. मदरसों के छात्र भी अन्य विद्यालयों के छात्रों की तरह प्रतिस्पर्धी बन सकें और उन्हें उच्च शिक्षा तथा रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें, मदरसों के छात्रों का स्किल डैवहलपमेंट हो सके।

अतः उपरोक्तानुसार परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सादर अनुरोध है कि, राज्य में संचालित मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाये जिससे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विधार्थी जो मदरसों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर मुख्य धारा से जुड़ सकें।

संलग्न :–
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठन सम्बंधी गजट की छायाप्रति।

(डॉ.सलीम राज)
अध्यक्ष
छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड
(केबिनेट मंत्री दर्जा)